



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272664
CG-DL-E-18052026-272664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 136]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 11 मई, 2026
सं. 09/2026-27

विषय: प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.88 और पैरा 2.91 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/109/एम-25/पीसी-2(क)/ई-45707.— विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.88 और पैरा 2.91 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(क) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.88 (क) के तहत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की मौजूदा सूची के पश्चात एक नई प्रविष्टि को क्रम सं xv. पर निम्नानुसार जोड़ा गया है:

“xv. भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (भारत-यूके सीईटीए)”

(ख) प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.91 में एक उप-पैरा (ड.) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"2.91 (ड.): भारत-ईएफटीए टीईपीए और भारत-यूके सीईटीए के मामले में, प्राधिकृत एजेंसी द्वारा उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने के अलावा, संबंधित निर्यातक द्वारा स्वयं-घोषणा के आधार पर भी उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने की मौजूदा पद्धति के अलावा, भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) के अंतर्गत स्वयं घोषणा के माध्यम से उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) प्राप्त करने हेतु निर्यातकों की सुविधा के लिए प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 2.88 (क) और पैरा 2.91 को संशोधित किया गया है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th May, 2026

No. 09 / 2026-27

Subject: Amendments in Para 2.88 and Para 2.91 of Handbook of Procedures-reg.

F. No. 01/89/180/109/AM-25/PC-2(A) / e-45707.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the provisions of Para 2.88 and Para 2.91 of the Handbook of Procedures 2023:

(A) Under Para 2.88 (a) of HBP, a new entry with serial no. xv is inserted after the existing list of Free Trade Agreements (FTAs) as under:

"xv. India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (India-UK CETA)"

(B) Under Para 2.91 of HBP 2023, the sub-para (e) is amended as mentioned below:

"2.91 (e): In case of India- EFTA TEPA and India-UK CETA, Certificates of Origin may also be obtained on the basis of self-declaration by the exporter concerned, in addition to issuance of Certificate of Origin by an authorised agency".

Effect of this Public Notice: Para 2.88(a) and Para 2.91 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023 have been amended to facilitate exporters to obtain the Certificate of Origin (CoO) under the India–UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) through self-declaration, in addition to the existing system of issuance of Certificates of Origin by the authorised agencies.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.